



कार्यालय जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

रेलवे अस्पताल के सामने, रातानाडा, जोधपुर-342001

email- jda.jodhpur@yahoo.com वेब-साईट jodhpurjda.org Phone No. 0291-2612086/265635-7 Fax 0291-2612086

DFA

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/17

दिनांक:- 06/04/2023

कार्यवाही विवरण:-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2023 वीं बैठक दिनांक 04.04.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें उपरिथत सदस्यों का विवरण परिशिष्ट-“1” पर है। बैठक के दौरान जोन-6 के प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार विमर्श किया जाकर निम्नवत निर्णय लिये गये।

एजेण्डा संख्या 01 :-

विषय:- भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की जोन-06 की 04/2023 वीं बैठक दिनांक 27.02.2023 के कार्यवाही विवरण की पुष्टि।

निर्णय:- समिति द्वारा विचार-विमर्श उपरांत गत बैठक के कार्यवाही विवरण की सर्वसम्मति से पुष्टि की गयी।

एजेण्डा संख्या 02 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
04.04.2023	जोन-6	करवड	153, 154, 213	61.15.00 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्री भंवरलाल मेघवाल पुत्र श्री भीकाराम मेघवाल, श्री सुरेश पुत्र श्री रोशन, श्री आलमसिंह पुत्र श्री खयालीराम, श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी श्री राजू मीणा				
विषय:-	राजस्व ग्राम करवड के खसरा संख्या 153, 154, 213 रकबा 61.15.00 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत प्रकरण में निम्नलिखित सूचनाएँ प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया:- 1. प्रकरण में जोन द्वारा रकबा 73.02.08 बीघा हेतु जारी 90-क आदेश अनुसार ही टाउनशिप पॉलिसी-2010 के प्रावधानों की सुनिश्चितता करते हुए आवेदक से संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। साथ ही आवेदित भूमि के उत्तर दिशा में स्थित नाले के सहारे 30 मीटर वृक्षारोपण पट्टी के उपरान्त प्राधिकरण द्वारा पूर्व में अनुमोदित जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार 18 मीटर सडक का प्रावधान किया जाकर एवं आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन को दर्शाते हुए व वास्तुविद से प्रमाणित कर संशोधित मानचित्र प्राप्त किया जावे। 2. प्रकरण में श्री माणकराम द्वारा जोन में वाद विचाराधीन होने के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति का पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु जोन उपायुक्त को निर्देशित किया गया। उपरोक्त सूचनाएँ प्राप्त होने के उपरान्त प्रकरण को आगामी बैठक में रखे जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया।				

एजेण्डा संख्या 03 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
04.04.2023	जोन-6	दईजर	180, 181	10.04.15 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती अनु पत्नी श्री सन्तोष, श्री प्रशान्त पुत्र श्री सन्तोष कुमार, श्रीमती राधा पत्नी श्री बाबुराम, श्री रितेश पुत्र श्री सन्तोष, सीमा पुत्री श्री सन्तोष कुमार, श्री शेखर कुमार पुत्र श्री चन्द्राराम, श्री सुजीत कुमार गुजारिया पुत्र श्री मोहनलाल				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 180, 181 रकबा 10.04.15 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:-				

7

	<ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट एवम् जोनल डवलपमेंट प्लान अनुसार आवेदित भूमि के सामने 24 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 3. आवेदक द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में खसरा सुपरईम्पोजिशन के बाहर खुला क्षेत्र प्रस्तावित करते हुए पार्क एवं खुला क्षेत्र हेतु न्यूनतम आवश्यक 5 प्रतिशत में सम्मिलित किया गया है। अतः खसरा सुपरईम्पोजिशन के उपरान्त आवेदित भूमि में से 5 प्रतिशत पार्क एवं खुला क्षेत्र की सुनिश्चितता की जाकर ही ले-आउट प्लान जारी किये जाने हेतु सदस्य सचिव को निर्देशित किया गया। 4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शास्ती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शास्ती वसूल की जावें एवम् सैटबैक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें। 5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें। 6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण स्थल का प्रावधान किया जावें। 7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा। 8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें। 9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।
--	--


एजेण्डा संख्या 04 :-

बैठक दिनांक	जोन	राजस्व ग्राम	खसरा संख्या	रकबा	प्रयोजन
04.04.2023	जोन-6	दईजर	145/15	11.16.10 बीघा	आवासीय योजना
आवेदक	श्रीमती भानु दयानी पत्नी श्री महेश कुमार, श्री नरेश भाटी पुत्र श्री तुलसीराम भाटी, श्री पप्पाराम चौधरी पुत्र श्री अर्जुनराम चौधरी, श्रीमती शशिकला पत्नी श्री पुरुषोत्तम झंवर, श्रीमती शोभा भण्डारी पत्नी श्री देवेन्द्र कुमार भण्डारी, श्री सूर्यवीरसिंह पुत्र श्री गोपालसिंह चौहान				
विषय:-	राजस्व ग्राम दईजर के खसरा संख्या 145/15 रकबा 11.16.10 बीघा में आवासीय योजना प्रयोजनार्थ ले-आउट प्लान अनुमोदन बाबत।				
निर्णय:-	समिति द्वारा एजेण्डा व पत्रावली का अवलोकन किया गया। विचार-विमर्श उपरांत निम्नलिखित शर्तों के साथ ले-आउट प्लान अनुमोदित किये जाने का निर्णय लिया गया:- <ol style="list-style-type: none"> 1. प्राधिकरण द्वारा पूर्व में किए गए कमिटमेंट अनुसार आवेदित भूमि को उपलब्ध 12 मीटर सडक मार्गाधिकार की सुनिश्चितता की जावें। सडक मार्गाधिकार हेतु आवश्यक भूमि प्रार्थी की भूमि में से जोविप्रा के पक्ष में निःशुल्क समर्पित करवायी जावें। 2. टाउनशिप पॉलिसी-2010 के समस्त प्रावधानों की पालना आवेदक स्तर पर सुनिश्चित की जावें। 3. आवेदित भूमि में से गुजर रही विद्युत लाईन की क्षमता व स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्राप्त की जावें। 				

8

4. प्रकरण में पट्टा विलेख जारी किये जाने से पूर्व मौके पर निर्माण होने की स्थिति में राजस्थान (नगरीय क्षेत्र जोधपुर) भवन विनियम 2020 की तालिका 11 के विन्दु संख्या 1 के क्रम में नियमानुसार शारती की गणना कर जोन उपायुक्त द्वारा शारती वसूल की जावें एवम् सैटवेक क्षेत्र में किये गये निर्माण को एक वर्ष की अवधि अथवा भवन अनुमति जारी होने से पूर्व हटाया जाना जोन स्तर से सुनिश्चित किया जावें।
5. मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015 के प्रावधानानुसार 2 है0 से कम क्षेत्रफल की योजना में नियमानुसार विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत क्षेत्रफल के समतुल्य राशि जोन स्तर पर ली जावें।
6. राज्य सरकार द्वारा दिनांक 10.08.2020 को जारी अधिसूचना अनुसार नियमानुसार मोबाईल टॉवर एवं ठोस कचरा संग्रहण रथल का प्रावधान किया जावें।
7. नियमानुसार आन्तरिक विकास कार्यों की एवज में विक्रय योग्य क्षेत्रफल के 12.5 प्रतिशत क्षेत्रफल के बराबर भूखण्ड रहन में रखे जाने है जिनको आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण होने की सुनिश्चितता के उपरान्त रहन मुक्त किया जावेगा।
8. उक्त प्रस्तावित भूमि से सम्बन्धित अन्य राजस्व प्रशासनिक, वाद, अवाप्ति एवं मालिकाना हक की समस्त जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं की होगी। प्रार्थी से इस बाबत शपथ-पत्र लिया जावें कि प्रश्नगत भूमि पर कोई विवाद नहीं है और ना ही न्यायालय में कोई विवाद लम्बित है। इस बाबत जोन स्तर पर शपथ-पत्र लेकर ही पट्टा जारी किया जावें।
9. प्रस्तावित भूमि पर निर्माण कार्य करवाने से पूर्व प्रचलित भवन विनियम अनुसार जोधपुर विकास प्राधिकरण से भवन मानचित्र अनुमोदित करवाने होंगे।

आयुक्त महोदय द्वारा धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई। उक्त कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।



उप-नगर नियोजक (प्रथम)

एवं सदस्य सचिव


भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)

जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

क्रमांक: F37(3)/नि.आ./बीपीसी(एल.पी.)/का.वि./2023/18-13.
प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक:- 06/04/2023

01. निजी सचिव, आयुक्त महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
02. निजी सचिव, सचिव महोदय, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
03. निदेशक (अभियांत्रिकी/आयोजना), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
04. उपायुक्त (जोन-6), जो.वि.प्रा., जोधपुर।
05. सहायक नगर नियोजक, जो.वि.प्रा., जोधपुर।
06. प्रोग्रामर/एनआईसी शाखा को भेजकर लेख है कि इसे जो.वि.प्रा. की वेबसाइट पर अपलोड करने का श्रम करें।




उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर

परिशिष्ट-“1”

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (ले-आउट प्लान) की 08/2023 वीं बैठक दिनांक 04.04.2023 को आयुक्त महोदय, जोविप्रा, जोधपुर की अध्यक्षता में उनके कक्ष में आयोजित हुई, बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:-

- | | |
|---|------------|
| 1. श्री नवनीत कुमार, आयुक्त, जो.वि.प्रा., जोधपुर। | अध्यक्ष |
| 2. श्री जय नारायण मीणा, सचिव, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 3. श्री सुभाष चन्द्र शर्मा, निदेशक (आयोजना), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 4. श्री महेन्द्र सिंह पंवार, निदेशक (अभियांत्रिकी), जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 5. श्री श्रवण विश्णोई, उपायुक्त (जोन-6) जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य |
| 6. श्री अनुज अग्रवाल, उप नगर नियोजक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | सदस्य सचिव |
| 7. श्री दयाल सिंह राजपुरोहित, भू-अभिलेख निरीक्षक, जो.वि.प्रा. जोधपुर। | |



उप नगर नियोजक (प्रथम)
एवं सदस्य सचिव

भवन मानचित्र अनुमोदन समिति (एल.पी.)
जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर